

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


::आदेश::

भोपाल, दिनांक 23.12.2020

क्रमांक एफ 44-04/2019/20-2::विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.03.2020 द्वारा विद्यार्थियों/शिक्षकों हेतु दिनांक 25 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था।

2/ राज्य शासन एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु घोषित दिनांक 26 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक शीतकालीन अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है, ताकि कोविड-19 के संक्रमण के कारण मार्च 2020 से नियमित कक्षाएं बंद रहने के कारण बोर्ड एवं स्थानीय परीक्षा की तैयारी हेतु विद्यार्थियों का शिक्षकों से सीधे संवाद हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(प्रमोद सिंह) 23/12/2020


उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र./म.प.सं.सं./ अकादमिक/2020/

भोपाल दिनांक...../12/2020

समस्त प्राचार्य/प्रबंधक शासकीय/अशासकीय संस्कृत विद्यालय/पराम्परागत संस्कृत विद्यालय, शासन आदेशानुसार शीतकालीन अवकाश निरस्त करने संबंधी सूचना से शिक्षकों/विद्यार्थियों को सूचित कर शासन निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।



(प्रभातराज तिवारी)

निदेशक

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान  
म.प्र.भोपाल